"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़/गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019 — फाल्गुन 10, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2019 (फाल्गुन 10, 1940)

क्रमांक-3351/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) जो शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 14 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), धारा 14 में, उप–धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(6) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का

कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) या उप–धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप–धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।"

धारा 36 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**36. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.**– (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा;

(2) कार्यपरिषद्, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय–समय पर, कोई परिनियम बना सकेगी, संशोधन कर सकेगी अथवा निरसित कर सकेगी।

(3) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् को किसी नवीन परिनियम का अथवा कार्य परिषद् द्वारा पारित किन्हीं विद्यमान परिनियम में संशोधन अथवा निरसन करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकेगी तथा ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर कार्यपरिषद् द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जायेगा:

परंतु यह कि विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे

परिनियम के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नही करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो, और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तावित प्रारूप पर विचार कर सकेगी एवं उसे या तो पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकृत कर सकेगी अथवा संशोधन सहित या संशोधन के बिना, विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगी।

(5) (क) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य, किसी परिनियम का प्रारूप कार्यपरिषद् को प्रस्तावित कर सकेंगे एवं कार्यपरिषद, ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी, यदि प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो।

(ख) यदि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर के विषय से संबंधित हो, तो कार्यपरिषद्, उसे विद्यापरिषद् के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो,–

(एक) प्रारूप पर, यदि उसकी असहमति हो तो, अपनी असहमति से कार्यपरिषद् को अवगत करायेगी और तब उसके बारे में यह समझा

जायेगा कि उसे कार्यपरिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(दो) अथवा प्रारूप को कार्यपरिषद् को ऐसे रूप में, जैसा कि विद्या परिषद् स्वीकृत करे, प्रस्तुत करेगी तथा कार्यपरिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम, राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । कुलाधिपति उस पर अपनी सहमति दे सकते है या सहमति रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार के लिये वापस कर सकते हैं।

(7) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी, यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो।"

4. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः— **धारा 38 का संशोधन.**

"**38. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.**— (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। कुलाधिपति अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं ।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश,

कुलाधिपति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगा।"

द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) के सरल कमांक 2 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 18 सन् 2008) की धारा 7 का संशोधन.

6. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 18 सन् 2008) के धारा 7 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, किसी भी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाने से उद्भूत तत्कालिक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 14 में तथा समन्वय समिति द्वारा अपनी 26वीं बैठक में उक्त अधिनियम की धारा 36 एवं 38 में संशोधन के संबंध में की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

और यतः, राज्य शासन द्वारा विनिश्चय किया गया है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के कार्यों को सुगम बनाने एवं समन्वय समिति की अनुशंसा के कियान्वयन के लिये संशोधन किये जायें ।

और यतः संत गहिरा गुरु जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने वनवासियों के जीवन स्तर के उत्थान के लिये अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। संत गहिरा गुरु जी के प्रयासों से लोग अपनी मूल संस्कृति की ओर वापस लौटने लगे । उन्होंने समाज के प्रति कर्तव्यों का जनजागरण किया;

और यतः, राज्य शासन ने ''सरगुजा विश्वविद्यालय'' के नाम को ''संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा'' परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को संशोधित करना आवश्यक है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

उमेश पटेल
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 26 फरवरी, 2019

उपाबन्ध

(1) **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 14(6) का सुसंगत** उद्धरण :–

कुलपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई नया कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता है:

परंतु इस उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था छह मास के अधिक कालावधि के लिए जारी नहीं रहेगी।

(2) **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 36 का सुसंगत** उद्धरण :–

(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम समन्वय समिति द्वारा तैयार किये जायेगें।

(2) समन्वय समिति इसमें इसके पश्चात् आने वाली रीति में परिनियम पारित करके समय–समय पर कोई परिनियम बना सकेगी, उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

(3) समन्वय समिति, किसी विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् से कोई प्रस्थापना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से परिनियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी जो किसी एक अथवा सभी विश्वविद्यालयों के हित में हो; और

(4) जहां प्रारूप की प्रस्थापना कार्य–परिषद् द्वारा की गई हो, वहां समन्वय समिति ऐसे प्रारूप को अनुमोदित कर सकेगी और परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि समन्वय समिति सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिए कार्य–परिषद् को वापस कर सकेगी।

(5) इसके पश्चात् की उपधारा (4) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा समन्वय समिति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्य–परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह कार्य–परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ समन्वय समिति के समक्ष पुनः उपस्थित किया जायगा, और समन्वय समिति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगी या अस्वीकार कर सकेगी।

(6) समन्वय समिति की परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के–

(क) ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्य–परिषद् उस

प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो; या

(ख) ऐसे प्रारूप पर, जो महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने की शर्तों पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्य–परिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि विद्या–परिषद् को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो, और ऐसी राय कार्य–परिषद् द्वारा किसी भी ऐसी प्रारूप के साथ, जिसकी कि वह प्रस्थापना करें, समन्वय समिति को अग्रेषित की जायगी।

(7) जहां समन्वय समिति परिनियम को अनुमोदित कर दे वहां वे, ऐसी तारिख से प्रभावी हो जायेंगे जिसे कि समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करे।

(3) **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 38 का सुसंगत उद्धरण :–**

(1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य–परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्य–परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

(4) **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) का सुसंगत उद्धरण :–**

द्वितीय अनुसूची
भाग–दो(पुनरीक्षित)
[धारा 4(सत्रह) देखिए]

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
2.	सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर	अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
3.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

4.	हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

(5) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) की धारा–7 की उपधारा–4 (ख) का सुसंगत उद्धरण :–

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक–18 सन् 2008)	इस (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने के पूर्व गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम, सरगुजा विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम माने जावेंगे.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.